फर्द अहकाम

लय उपखण्ड अधिकारी चाकसू

रामकृष्ण बनाम कल्याणी

मा संख्या /वर्ष : 225 /2023

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/6/24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. प्रति. ल. (शिकायत) को जवाब हेतु कई अवसर देने पर भी जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब बंद किया जाता है। बहस उभयपक्षों की प्रा. पत्र पर सुनी गई बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त हम पाते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार हैं एवं वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद की बहुलता को रोकने व वाद की विषय-वस्तु को बनाए रखने के लिए प्रा. पत्र के चरण ल.(2) में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को तकसीमवाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर फैसल है। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	